UPKJ010010852023

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–19/74/2023

विशम्भर सिंह आदि बनाम श्री भगवत दयाल आदि।

दिनांक–14.05.2026

वर्तमान प्रार्थना पत्र 3c2 प्रार्थीगण विशम्भर सिंह व मुन्नी देवी द्वारा अन्तर्गत धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद दाखिल किये जाने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण विशम्भर सिंह व मुन्नी देवी द्वारा यह कथन किया गया है कि ग्राम करमुल्लापुर में श्री राधाकृष्ण जी महाराज/ रामचन्द्र जी महाराज मन्दिर कायम चला आ रहा है तथा उसके आसपास की जनता मन्दिर में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखती है। उसी ग्राम के श्री उम्मेद सिंह द्वारा वर्ष 1900 ई० में काफी धन खर्च कर उक्त मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया गया तथा अपनी सम्पत्ति दान कर एक सार्वजनिक एवं धार्मिक ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यासी के तौर पर उम्मेद सिंह स्वयं नियुक्त हुए तथा सह–न्यासियों के रूप में दुर्गा प्रसाद, बच्चनलाल, जय जयराम, बलदेव प्रसाद व भैरव सिंह को नियुक्त किया। उम्मेद सिंह की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करेंगी तथा उनकी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त सह–न्यासियों द्वारा सर्वसम्मति से मुख्य न्यासी का चुनाव कराकर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करेंगे। उम्मेद सिंह व उनकी पत्नी और उनके द्वारा नियुक्त उपरोक्त सह न्यासियों की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। राज बहादुर सिंह, जिन्हें विपक्षी संख्या–05 बनाया गया है व आदित्य कुमार ने सुरेशचन्द्र, शिवनारायन, दीवान सिंह, मोतीलाल, भगवत दयाल आदि को पक्षकार बनाकर एक दीवानी वाद न्यायालय में वाद संख्या–01/2004 श्री राजबहादुर आदि बनाम श्री सुरेशचन्द्र आदि दाखिल किया, जो दिनांक 17.12.2008 को एकपक्षीय रूप से निर्णीत किया गया तथा विपक्षी संख्या–01 भगवत दयाल को मुख्य न्यासी और विपक्षीगण शिवनरायन, दीवान सिंह, आदित्य कुमार व राजबहादुर को सह–न्यासी के तौर पर नियुक्त किया गया। न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.12.2008 के उपरान्त कुछ समय तक विपक्षीगण द्वारा उक्त ट्रस्ट के न्यासी के पद पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया गया, किन्तु कुछ समय पश्चात उनके द्वारा न्यास के मुख्य सिद्धान्तों व उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया तथा उनके द्वारा मन्दिर की समुचित देखभाल नहीं की जा रही है। मन्दिर की साफ–सफाई व न्यास की सम्पत्ति से होने वाली आय का लेखा–जोखा न रखने का कार्य किया जा रहा है। न्यास की सम्पत्ति का व्यक्तिगत इस्तेमाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है। मन्दिर में कोई पुजारी नहीं है, जिसके कारण अधिक समय तक मन्दिर में ताला लगा रहता है। मन्दिर से सम्बन्धित कृषि भूमि व सुन्दर वृक्षों व बागानों को नष्ट कर उसकी सम्पत्ति को व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि न्यास की मूल भावना व सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि राष्ट्रीय

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.05.14 17:29:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court.
Kannauj.

राजमार्ग–91 के चौड़ीकरण हेतु ट्रस्ट की भूमि अधिकृत की गई है तथा उससे प्राप्त मुआवज़े को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उम्मेद सिंह द्वारा गठित न्यास में यह व्यवस्था की गई है कि उक्त न्यास का कोई न्यासी जब वजूद में न हो तथा मौजूद न्यासियों द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में जनपद फर्रूखाबाद (उस समय जनपद कन्नौज, फर्रूखाबाद का ही भाग था) के जिलाधिकारी व तहसीलदार छिबरामऊ उक्त न्यास की देखभाल के लिए अधिकृत होंगे।

विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल तो किया गया है, किन्तु जो उद्देश्य 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में दर्शाये गए है, जिसके लिए याचिका दाखिल हो सकती है, वह प्रार्थना पत्र की परिधि में नहीं आता है तथा प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वर्तमान न्यासी जो वहां काम कर रहे हैं, वे न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या 01/2004 श्री राजबहादुर आदि बनाम श्री सुरेशचन्द्र आदि में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2008 के आलोक में कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थना पत्र धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गए प्रावधान (क) से (ज) में आता हो। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता:– लोक पूर्त कार्य–(1) पूर्त या धार्मिक प्रकृति के लोक प्रयोजनों के लिए सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में, या जहां ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निदेश आवश्यक समझा जाता है वहां महाधिवक्ता या न्यास में हित रखने वाले ऐसे दो या अधिक व्यक्ति, जिन्होंने न्यायालय की इजाजत अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद, चाहे वह प्रतिविरोधात्मक हो या नहीं, आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की सम्पूर्ण विषय–वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए संस्थित कर सकेंगे–

(क) किसी न्यासी को हटाने की डिक्री;

(ख) नए न्यासी को नियुक्त करने की डिक्री;

(ग) न्यासी में किसी सम्पत्ति को निहित करने की डिक्री;

(गग) ऐसे न्यासी को जो हटाया जा चुका है या ऐसे व्यक्ति को जो न्यासी नहीं रह गया है, अपने कब्जे में की किसी न्यास सम्पत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को जो उस सम्पत्ति के कब्जे का हकदार है, परिदत्त करने का निदेश देने की डिक्री;

(घ) लेखाओं और जांचों को निर्दिष्ट करने की डिक्री;

(ङ) यह घोषणा करने की डिक्री कि न्यास–सम्पति का या उसमें के हित का कौन सा अनुपात न्यास के किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित होगा;

(च) सम्पूर्ण न्यास–सम्पत्ति या उसके किसी भाग का पट्टे पर उठाया जाना, विक्रय किया जाना, बन्धक किया जाना या विनिमय किया जाना प्राधिकृत करने की डिक्री;

(छ) स्कीम स्थिर करने की डिक्री; अथवा

(ज) ऐसा अतिरिक्त या अन्य अनुतोष अनुदत्त करने की डिक्री जो मामले की प्रकृति से अपेक्षित हो।

उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में जो वाद दाखिल किये जाने की अनुमति न्यायालय से ली जाती है, वह मुख्यतः किसी न्यासी को हटाने हेतु अथवा किसी नए न्यासी को नियुक्त करने हेतु अथवा किसी ट्रस्ट में नई सम्पत्ति को दिये जाने हेतु, किसी हटाए गए ट्रस्टी को ट्रस्ट की सम्पत्ति को वैसे व्यक्ति जो उस सम्पत्ति का अधिकारी हो, के अधिकार में दिये जाने हेतु अथवा न्यास के खाते से सम्बन्धित जांच–पड़ताल हेतु व अन्य अतिरिक्त अनुतोष हेतु दाखिल किया जा सकता है।

वर्तमान प्रकरण में जो प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.12.2008 के पश्चात विपक्षीगण द्वारा कुछ समय तक न्यास का कार्य न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप किया गया, किन्तु उसके पश्चात न्यास के सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया तथा न्यास के सम्पत्ति से होने वाली आय का लेखा–जोखा न रखने तथा उसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करके दुरुपयोग करना तथा न्यास से सम्बन्धित कृषि भूमि व सुन्दर वृक्षों व बागानों को नष्ट कर उक्त सम्पत्ति को व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करना तथा न्यास में कुप्रबन्धन करने का कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण से प्राप्त होने वाली आय को हड़पने की सम्भावना का भी कथन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि श्री उम्मेद सिंह द्वारा जो न्यास गठित की गई थी, उसमें यह व्यवस्था थी कि उक्त न्यास का कोई न्यासी जब वजूद में न हो तथा मौजूद न्यासियों द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य किया जा रहा हो तो वैसी सूरत में जनपद फर्रूखाबाद (पूर्व में कन्नौज, फर्रूखाबाद जंक्शन का ही भाग था) के जिलाधिकारी व तहसीलदार छिबरामऊ उक्त न्यास की देखभाल के लिए अधिकृत होंगे तथा प्रार्थना पत्र में यह प्रार्थना की गई है कि जिलाधिकारी कन्नौज व तहसीलदार छिबरामऊ को ट्रस्ट के प्रबन्धन का इन्तजाम किये जाने हेतु नियुक्त किया जाए।

प्रार्थना पत्र में किये गए उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में मुख्यतः जो कथन किये गए हैं, वे प्रथमदृष्टया धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में दिये गए प्रावधान (क), (ख) व (घ) के अन्तर्गत आते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 92 (ज) में जो प्रावधान है वह न्यायालय को स्पष्ट रूप से यह अधिकार देता है कि वह केस की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें तथा वाद दाखिल करने की अनुमति दें। वर्तमान प्रकरण के आवेदन में किये गए कथन से स्पष्ट है कि जो कथन किये गए है, वे ट्रस्ट के कुप्रबन्धन व ट्रस्ट की सम्पत्ति का व्यक्तिगत उपयोग से सम्बन्धित हैं तथा इस हेतु नए ट्रस्टी को नियुक्त किये जाने या जिलाधिकारी कन्नौज व तहसीलदार छिबरामऊ को न्यास की देखभाल किये जाने हेतु अधिकृत करने की प्रार्थना की गई है। इसके अतिरिक्त आय का लेखा–जोखा न रखने का भी कथन किया गया है, जो कि धारा 92 (घ) के अन्तर्गत आता है।

जहां तक विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया यह तर्क है कि जो वर्तमान ट्रस्टी

काम कर रहे हैं, उन्हें मूलवाद संख्या–01/2004 में पारित आदेश दिनांकित 17.12.2008 के अनुसार न्यासी बनाया गया है तथा उन्हें मात्र प्रार्थना पत्र में किये गए कथन के आधार पर नहीं हटाया जा सकता का प्रश्न है तो धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद लाने की अनुमति दिये जाने का अर्थ यह नहीं है कि विपक्षी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जा रहा है, बल्कि न्यायालय यह देखती है कि क्या ट्रस्ट का संचालन न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं। न्यायालय के आदेश से यदि कोई न्यासी नियुक्त हो जाए तो इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय पुनः इस तथ्य की जाँच नहीं कर सकती कि ट्रस्ट का संचालन ट्रस्ट की मंशा के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों के आधार पर प्रार्थीगण विशम्भर सिंह व मुन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3c2 अन्तर्गत धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता में वाद चलाने की अनुमति प्रदान किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण विशम्भर सिंह व मुन्नी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3c2 अन्तर्गत धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को वाद चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 29.05.2026 को पेश हो।

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
(J.O.Code–UP02007)